3/यो0स०क०-19/2022 16

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०)
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना। पटना, दिनांक -08.01.25

विषय:- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी आय वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु राज्य स्कीम मद में कुल रू० 75091.00 लाख (सात सौ पचास करोड़ एकानवे लाख रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अधिसूचित की गई है, जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60-70 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू० 400/- एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रू० 500/- का मासिक पेंशन भुगतान किया जाता है। वितीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संचालनार्थ राज्य योजना मद के विभिन्न घटकों में कुल रू० 89738.00 लाख (आठ सौ सनतानवे करोड अड़तीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 32 दिनांक 08.04.2024 द्वारा तथा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त कुल रू० 67017.48 लाख (छः सौ सत्तर करोड़ सतरह लाख अडतालीस हजार रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 71 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रू० 75091.00 लाख (सात सौ पचास करोड़ एकानवे लाख रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – सामान्य घटक	(51-2235021040109)	0109,31.06	127517.48	75091.00
कुल (सात सौ पचास करोड़ एकानवे लाख रू०)					**75091.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा वित विभाग के नियमानुसार आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा तथा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक- 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576 दिनांक 01.04.2024, 478/वि० दिनांक 06.08.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. इस स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-19/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 21/टि0 पर दिनांक 13.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-19/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 25/टि0 पर दिनांक- 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह०/-
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-19/2022 /16/दिनांक- 08.01.25

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-19/2022 /16/दिनांक- 08.01.25

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-19/2022 /16/दिनांक- 08.01.25

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-19/2022 /16/दिनांक- 08.01.25

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08/01/25
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।